राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।

कमांकः प 4(IV)/कृ.यंत्र/2016–17/532-753 दिनांकः 13-5-2016

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद.....।

विषय :–**सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजनान्तर्गत कस्टम हायरिंग सेन्टर्स (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग, कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) एवं चयनित ग्राम में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश वर्ष 2016–17 बाबत्।**

कृषि यंत्रों के प्रयोग से समय, श्रम एवं धन की बचत होती है। राज्य में कृषि क्षेत्र में उन्नत एवं आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रचलन काफी कम है जिसका एक मुख्य कारण कृषि यंत्रों का मंहगा होना एवं कम समय के लिए उपयोग में आना है। लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषक ऐसे उन्नत एवं आधुनिक कृषि यंत्रों को खरीदने में असमर्थ होते हैं।

भारत सरकार की सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (**SMAM**) योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेन्टर्स **(फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग, कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र)** की स्थापना के लिए लागत का 40 प्रतिशत तक बैक एन्ड सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है तथा **चयनित ग्राम में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लागत का** 80 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

कस्टम हायरिंग सेन्टर्स **(फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग, कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) तथा चयनित ग्राम में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना** के उद्देश्य, पात्रता एवं सामान्य निर्देश तथा भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश संलग्न हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि गत वर्ष के जिलेवार निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के 50 प्रतिशत लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित मानते हुए कस्टम हायरिंग सेन्टर्स **(फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग, कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) तथा चयनित ग्राम में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना** का कियान्वयन अविलम्ब प्रारम्भ किया जावे। मुख्यालय द्वारा भारत सरकार से योजनावार प्रावधानों की स्वीकृति प्राप्त होने पर संशोधित योजनावार भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों से अवगत करा दिया जावेगा।

(डॉ0 नीरज कुमार पवन)
आयुक्त एवं पदेन्
विशिष्ठ शासन सचिव, कृषि

क्रमांक–प.4 (IV) यंत्र/2016–17/532-753 दिनांकः 13-5-2016

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त.....।
4. समस्त जिला कलेक्टर.....।
5. निदेशक, अनुसंधान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
6. डीन, कृषि प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उदयपुर।
7. निदेशक, अनुसंधान, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. निदेशक (रा.कृ.प्रबंध संस्थान/आत्मा समेति) दुर्गापुरा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (आदान/विस्तार/अनुसंधान/समन्वय), मुख्यालय, जयपुर।

10. संयुक्त निदेशक, कृषि (योजना/आईसोपॉम/आदान/प्र0एवंमू0/पौ0सं0/एटीसी/–शस्य ज0उ0प्र0/गु0नि0/रसायन/विस्तार/आर.के.वी.वाई), मुख्यालय जयपुर।
11. मुख्य सांख्यिकी अधिकारी मुख्यालय जयपुर।
12. समस्त खंडीय संयुक्त निदेशक, कृषि (वि0/तिलहन).....।
13. परियोजना निदेशक, कृषि (विस्तार) सी.ए.डी. कोटा।
14. उप निदेशक, कृषि (विस्तार/बीज/सूचना/सांख्यिकी/योजना/रसायन/एसीपी), मु0 जयपुर।
15. समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद/ईगानप, बीकानेर.....।
16. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार),.....।
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना शाखा, मुख्यालय, जयपुर।
18. किसान कॉल सेन्टर, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
19. अध्यक्ष, एग्रीकल्चर ईक्विपमेण्ट मैन्यूफेक्चिरिंग सोसाईटी, जयपुर।
20. आरक्षी पत्रावली।

(के. एन. खण्डेलवाल)
उप निदेशक कृषि (अभि0)

परिशिष्ठ–1

कस्टम हायरिंग केन्द्रों (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) की स्थापना एवं चयनित ग्राम में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु सामान्य निर्देश

ऐसे निर्माता, अधिकृत विकेता, पंजीकृत संस्थाऐं, स्थानीय स्वयं सहायता समूह/कृषक उत्पादन समूह/निजी हितग्राही/कृषि विज्ञान केन्द्र/क्रय विक्रय/ग्राम सेवा सहकारी समितियां जो कृषकों को कृषि कार्यों हेतु किराये पर मशीनें एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवायें देने के लिये कस्टम हायरिंग केन्द्र (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) स्थापित करना चाहते हैं उन्हें मशीनों एवं उन्नत तकनीक के कृषि यंत्र क्रय करने हेतु योजनान्तर्गत सहायता दी जायेगी। कस्टम हायरिंग सेन्टर्स (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) के सफल संचालन, कियान्वयन करने पर ही नियामानुसार अनुदान देय होगा।

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :–

1. कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना।
2. अत्याधुनिक तथा मंहगे कृषि यंत्र किराये पर उपलब्ध कराना।
3. लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि यंत्रीकरण के लिये प्रोत्साहित करना।

1.1 पात्रता एवं शर्तें :–

कस्टम हायरिंग केन्द्र (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) की स्थापना हेतु सहायताः–

1. सभी श्रेणी के आवेदक इस योजना के अन्तर्गत कस्टम हायरिंग (Custom Hiring) इकाई की स्थापना हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। आवेदक द्वारा अधिकतम रु0 40.00 लाख तक की लागत का एक फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग अथवा अधिकतम रु0 100.00 लाख तक की लागत का एक कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र स्थापित किया जा सकेगा।

2. कृषि अभियांत्रिकी/कृषि स्नातक आवेदकों के अतिरिक्त शिक्षित स्नातक बेरोजगार एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से कृषि मशीनरी से सम्बन्धित प्रशिक्षण में प्रशिक्षित आवेदकों, जो कस्टम हायरिंग केन्द्र (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी।

3. कस्टम हायरिंग केन्द्र (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) स्थापना हेतु ऋण राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके द्वारा प्राप्त किये गये ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों का संचालन उपयुक्त एवं वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस धारक व्यक्ति द्वारा ही किया जायेगा।

4. कस्टम हायरिंग सेन्टर (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) की स्थापना के लिये ऋण उपलब्ध कराने हेतु बैंकर्स को योजना की जानकारी दी जाकर उचित ब्याज दर पर हित ग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया जायेगा।

5. पच्चीस लाख से ज्यादा लागत के कस्टम हायरिंग सेन्टर (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) स्थापित करने हेतु बैंक से ऋण लेना अनिवार्य है। यह क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सब्सिडी (Credit Linked Back Ended Subsidy)